जवाहरलाल नेहरू

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

ढांचा (फ्रेम वर्क) व प्रक्रिया

जेएनएनयूआरएम

विषय-सूची

I	जे.एन.एन.यू.आर.एम. ढांचा	3
	1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के लिए ढांचा	3
	2. नीति निरीक्षण के लिए संस्थानिक प्रबंध	3
	3. मिशन संचलन के लिए संस्थानिक प्रबंध	4
	4. परामर्शी समर्थन के लिए संस्थानिक प्रबंध	6
II	जे.एन.एन.यू.आर.एम. प्रक्रिया	8
	1. प्रक्रिया प्रवाह	8
	2. सहायता के लिए मंजूरी तथा वितरण	8
	3. आवर्ती निधि	11
	4. निगरानी तंत्र	11
III	निधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण	15
	आवेदन पत्र: नगर विकास योजना (सीडीपी) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	16
	आवेदन पत्र: निवेश समर्थन घटक	19
IV.	निधिकरण के अनुरोध संसाधित करना	22
V.	चित्रों की सूची	
	चित्र-I परियोजना प्रस्ताव तथा नीति निदेश प्रवाह	13
	चित्र-I प्रक्रिया: मंजूरी तथा वितरण की प्रक्रिया	14

1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के लिए ढांचा

(1) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए संस्थागत ढांचे में निम्नलिखित शामिल रहेंगे:

(क) नीति

(ख) प्रस्तावों की रूपरेखा तथा मंजूरी

(ग) प्रचालन तथा निगरानी

(घ) परामर्शी सहयोग

शहरी विकास में सुधार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ढांचा तैयार किया गया है तथा इससे शहरी अवसंरचना में निवेशों को सुविधा मिलेगी।

2. नीति निरीक्षण के लिए संस्थानिक प्रबंध

(1) **राष्ट्रीय स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी)** राष्ट्रीय स्तर पर यह एनएसजी द्वारा संचालित की जायेगी।

एनएसजी की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री करेंगे तथा शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन (एमओयूईपीए) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इसके सह अध्यक्ष होंगे। एनएसजी में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहेंगे।

शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सह-अध्यक्ष
सचिव, शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन	सदस्य
सचिव, योजना आयोग	सदस्य
सचिव, व्यय	सदस्य
राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता	सदस्य
सचिव, शहरी विकास	सदस्य संयोजक

एनएसजी, जो भारत सरकार की समन्वयन शाखा है, नीती निरीक्षण प्रदान करेगी तथा जे.एन.एन.यू. आर.एम. के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुगम तरीके निकालने के लिए नीतियां तैयार करेगी। एनएसजी सुधारों की कार्यसूची की पुनरीक्षा करेगी तथा अभिज्ञात सुधारों में अतिरिक्त सुधार शामिल करेगी।

एनएसजी मिशन की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त एनएसजी पात्र शहरों में शहरी विकास की स्थिति तथा संबद्ध सुधारों की प्रगति की निगरानी करेगी।

शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं पर सब मिशन के तहत शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री की अध्यक्षता में तथा संयुक्त सचिव (यूईपीए) को सदस्य संयोजक के रूप में लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जायेगी।

3. मिशन संचलन के लिए संस्थानिक प्रबंधन

(1) **सब मिशन निदेशालय (एसएमडी):** राष्ट्रीय स्तर पर मिशन दो सब-मिशन निदेशालयों की मार्फत संचालित किया जायेगा। इनमें से एक प्रभारी शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) में संयुक्त सचिव तथा दूसरे शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन (एमओयूईपीए) होंगे जो परियोजना प्रस्तावों के त्वरित कार्यकरण के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेंगे प्रत्येक मिशन निदेशालय में प्रभारी संयुक्त सचिव मिशन निदेशक के तौर पर पद नामित किये जायेंगे। राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श दाता दोनों निदेशालयों के सदस्य होंगे।

स्थापित किये गये दो सब-मिशन इस प्रकार होंगे:

(क) **शहरी विकास तथा संचालन के लिए सब मिशन निदेशालय**
शहरी विकास तथा संचालन के लिए सब मिशन का एक चार्टर है। जिसमें शहरी संदर्भ में सैक्टरों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शहरी अवसंरचना के विकास की प्राप्ति के बारे में कहा गया है। सब मिशन के तहत कार्य प्रारंभ करने के लिए अभिज्ञात अभिकेन्द्रित सैक्टर तथा परियोजना दस्तावेज में वर्णित कर दी गई है जिनका शीर्षक है ''जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना का विहंगावलोकन''

(ख) **शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के लिए सब मिशन निदेशालय**
शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के लिए सब मिशन शहरी निर्धनों के लिए अवसंरचना तक पहुंच पर अभिकेन्द्रित रहेगा। इस सब मिशन का सात सूत्री घोषणा पत्र होगा: कालावधि की सुरक्षा, आवास, जल सप्लाई, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कवर

(2) **केन्द्रीय मंजूरी तथा निगरानी समिति:** शहरी अवसंरचना तथा संचलन, तथा शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के लिए संबंधित सचिवों की अध्यक्षता में दो केन्द्रीय मंजूरी तथा मानीटरिंग समितियां होंगी सीएसएमसी को परियोजनाओं तथा संबंद्ध सुधारों की मंजूरी तथा निगरानी का कार्य सौंपा जायेगा।

(क) **शहरी अवसंरना तथा संचालन के लिए सीएसएमसी**

शहरी अवसंरचना तथा संचालन के लिए सीएसएमसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

◆ सचिव, शहरी विकास	अध्यक्ष
◆ सचिव, शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन	सदस्य
◆ प्रधान परार्मशदाता (एचयूडी) योजना आयोग	सदस्य
◆ संयुक्त सचिव, तथा वित्त परामर्श दाता	सदस्य
◆ मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ)	सदस्य
◆ परामर्श दाता केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ)	सदस्य

- अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) — सदस्य
- संयुक्त सचिव, शहरी विकास — सदस्य सचिव

(ख) **शहरी निर्धनों के लिए मूल भूत सेवाओं हेतु सीएसएमसी**

शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के लिए सीएसएमसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहेंगे:

- सचिव, शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन — अध्यक्ष
- सचिव, शहरी विकास — सदस्य
- प्रधान सलाहकार योजना आयोग — सदस्य
- संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार — सदस्य
- मुख्य नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन — सदस्य
- सलाहकार केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) — सदस्य
- अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) — सदस्य
- संयुक्त सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन — सदस्य सचिव

(ग) जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष किसी सदस्य/विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकते हैं।

(घ) सीएसएमसी परियोजना की पुनरीक्षा तथा मंजूरी के लिए, जब अपेक्षित हो, बैठक कर सकती है। सीएसएमसी मंजूर की गई परियोजनाओं तथा संबंद्ध सुधारों की निगरानी का कार्य करेगी।

2. **राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी (एसएलएससी):** प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च निकाय नामत: एसएलएससी का गठन किया जायेगा जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शामिल करने के लिए परियोजनाओं को अभिज्ञात करेगा निर्णय करेगा, तथा उनको प्राथमिकता प्रदान करेगा। एसएलएससी अभिज्ञात योजनाओं की छानबीन करेगा तथा उनको प्राथमिकता प्रदान करेगा। अभिज्ञात परियोजनाएं मंजूरी हेतु संबंधित सीएसएमसी को अनुशंसित की जायेंगी। एसएलएससी परियोजनाओं की मंजूरी हेतु अनुशंसा करने के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा तथा राज्य में शहरी सुधारों की प्रगति की पुनरीक्षा करेगा। इन कार्यों को संपन्न करने में राज्य स्तरीय नोडल एजेंन्सी जिसका गठन इस उद्देश्य के लिये किया जायेगा, सहयोग करेगी।

एसएलएससी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

राज्य के मुख्यमन्त्री/शहरी विकास आवास राज्य मंत्री	अध्यक्ष
राज्य के शहरी विकास/आवास मंत्री	सह-अध्यक्ष
यू एल बी के संबंधित महापौर/अध्यक्ष	सदस्य
संबंधित संसद सदस्य/विधायक	सदस्य
सचिव, (पीएचई), राज्य सरकार	सदस्य
सचिव, (एमए), राज्य सरकार	सदस्य

सचिव, (वित्त), राज्य सरकार	सदस्य
सचिव, (आवास), राज्य सरकार	सदस्य
सचिव, (शहरी विकास), राज्य सरकार	सदस्य सचिव

(3) **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी योजना एसएलएनए** द्वारा कार्यान्वित की जायेगी जिसे संबंधित राज्य सरकारें पदनामित करेगी। एसएलएनए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगी:

1. सीडीपी तथा डीपीआर तैयार करने में यूएलबी/पैरास्टेटल एजेन्सियों की तैयारी तथा क्षमता निर्माण, जानकारी सूचना तथा संचार (आईईसी)।
2. यूएलबी/पैरास्टेटल एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन करना।
3. एनयूआरएम के तहत केन्द्र सरकार से सहायता लेने के लिए राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की स्वीकृति प्राप्त करना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का प्रबंधन।
5. यूएलबी तथा पैरास्टेटल एजेन्सियों को अनुदान सरल ऋण अथवा अनुदान सह ऋण के तौर पर निधि प्रदान करना।
6. आवर्ती निधि का प्रबंधन।
7. मंजूर योजनाओं की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति निगरानी तथा उपयोग तथा पूर्णता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
8. सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करना जैसा कि एमओए में आश्वस्त किया गया है।
9. एमओयूडी/एमओयूईपीए को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
10. राज्य सरकारों के मार्फत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4. परामर्शीय सहयोग के लिए संस्थानिक प्रबंध:

(1) जे.एन.एन.यू.आर.एम. की मार्फत लक्षित सहायता के सफल प्रावधान के लिए परामर्शीय सहयोग की आवश्यकता होती है निम्नलिखित के लिए परामर्शीय सहयोग अपेक्षित है:

मैक्रो लेवल (एनएसजी व एसएमडी को)

(क) एनएसजी को नीतिगत, विधिक तथा वित्तीय रूपरेखा की सहायता।

(ख) शहरी क्षेत्रों में सुधारों का कार्यान्वयन तथा प्रबंधन।

माइक्रो लेवल (सीएसएमसी एसएलएससी एसएलएनए, तथा यूएलबी)

(क) रूपरेखा के लिए समर्थन

(ख) सुधारों के लिए नियोजन

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

(घ) सहायता लेने की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए एसएलएनए तथा यूएलबी को मार्गदर्शन क्षमता निर्माण के लिये जे.एन.एन.यू.आर.एम. तहत उपलब्ध केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय अनुदान का 5%) का उपरोक्त सेवा के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

(2) **तकनीकी परामर्श ग्रुप:** टीएजी में शामिल विधिक पर्यावरण सामाजिक तथा शहरी अवसंरचना क्षेत्रों के व्यवसायिक विशेषज्ञ सीएसएमसी, एसएलएससी, एसएलएनए तथा यूएलबी की सहायता करेंगे। टीएजी ऊपर रेखांकित किये अनुसार मैक्रो तथा माइक्रो लेवल पर परामर्शीय सहयोग प्रदान करेंगे ताकि वे खंड-**I** 2 ग पर दिए ब्यौरे के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

शहरी संचालन में सुधारों के लिए सामूहिक कार्यवाही संचालित करने में सिद्ध अनुभव सहित सिविल सोसाइटी से लिए गए तकनीकी सलाहकार टीएजी की अध्यक्षता करेंगे।

टीएजी प्रत्येक अभिज्ञात नगर में इसी प्रकार के स्वैच्छिक तकनीकी कोर्पस सृजित करने में मिशन को सहायता प्रदान करेगा। यह शहरी संचालन में निचले स्तर तक निजी क्षेत्र की भागीदारी, नागरिकों का सहयोग तथा नगर पालिका संचालन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगा।

।। जे.एन.एन.यू.आर.एम. प्रक्रिया

1. प्रक्रिया प्रवाह

इस खण्ड में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत निधि तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया परिदर्शित की गई है। यह उस पथ पर भी प्रकाश डालती है कि यूएलबी द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित योजना सीएसएमसी द्वारा मंजूरी प्राप्त करेगी। प्रवाह चार्ट जे.एन.एन.यू.आर.एम. नीति निदेशों पर भी प्रकाश डालती है जिनका एनएसजी से संस्थानिक ढांचे की ओर प्रवाह है। इसका प्रक्रिया प्रवाह चित्र 1 परियोजना प्रस्ताव तथा नीति निदेश प्रवाह।

भारत सरकार का विश्वास है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए नीति ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए स्थापित की गई संस्थानों से फीड बैक पर आधारित करते हुए निरंतर जारी रहेगा। चित्र 1 नीति निर्देश प्रवाह को प्रस्तुत करता है।

2. सहायता की मंजूरी और वितरण।

(1) **निधिकरण पैट्र्न** निवेश समर्थन के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले पात्र नगर केन्द्रीय सहायता, जो निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी, के पात्र होंगे।

(क) **शहरी अवसंरचना तथा संचालन के लिए सब मिशन निदेशालय द्वारा मूल्यांकन के लिए परियोजनाएं**

श्रेणी	जन संख्या (2001 की जनगणना)	नगरों की संख्या	निधिकरण पैट्र्न (%)		
			अनुदान		यूएलबी पैरास्टाटल भाग/बैंकों/एफ आई से ऋण
			केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	
क	>40 लाख	7	35*	15	50
ख	10 से 40 लाख	28	50	20	30
ग	चुनिंदा शहर/ यूएएस<10लाख	28			
	पूर्वोत्तर राज्य तथा जम्मू कश्मीर के लिए		90	10	0
	अन्य		80	10	10
	समुद्र तट से 20 किलोमीटर के अंदर डिसेलाईनेशन प्लांट तथा अन्य शहरी क्षेत्र जहां ब्रेकिस जल तथा सतही संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण जल की कमी है।		80	10	10

** टिप्पणी शहरी परिवहन परियोजनाओं के मामले में 35% सहायता का मानक पैट्र्न प्रयोजनीय नहीं होगा। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीए) ने ऐसे परियोजना प्रस्तावों पर प्रस्ताव करते समय अंश और अथवा ऋण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है के स्तर पर निर्णय कर सकती है।*

1. यह निधिकरण पैट्र्न सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिनमें सार्वजनिक निजी भागीदारिता सन्निहित है केन्द्र सरकार का भाग निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा।

(ख) **शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवाओं के लिए सब मिशन निदेशालय के तहत मूल्यांकन के अधीन परियोजनाएं**

श्रेणी	जनसंख्या (2001 की जनगणना)	नगरों की संख्या	निधिकरण पैट्र्न (%)	
			अनुदान	यूएलबी पैरास्टाटल भाग/बैंकों/एफ आई से ऋण
क	> 40 लाख	7	50	50
ख	10-40 लाख	28	50	50
ग	पूर्वोत्तर राज्यों में नगरों के लिए		90	10
	यूएएस < 10 लाख	28	80	20

राज्य सरकारों द्वारा लाभभोक्ताओं को आवास नि:शुल्क नहीं प्रदान करना चाहिए/बैंक लोन सहित न्यूनतम 12% लाभभोक्ता अंशदान निर्धारित किया जाना चाहिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियां/शारीरिक विकलांग तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के मामले में 10%)

सारणि क व ख के लिए टिप्पणियां

i *प्रतिशतता कुल परियोजना लागत के संबंध में है।*

ii *यदि कोई जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना अत्यन्त सहायता प्राप्त परियोजना के तौर पर मंजूर की जाती है तो ईएपी निधि त्वरित केन्द्रीय सहायता के तौर पर राज्य सरकारों को दे दी जाती है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई निधि यूएलबी एफआईएस तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधियां भारत सरकार के अंशदान पर प्रयोग की जा सकती हैं।*

i *यदि आवश्यक हो तो कार्यान्वयन एजेन्सियों, संसद सदस्य, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि आन्तरिक संसाधन संस्थानिक वित्त पोषण अथवा राज्य के भाग के तौर पर प्रतिस्थापित किये जा सकते हैं।*

(ग) नगरों को नगर विकास योजना (सीडीपी), ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सामुदायिक भागीदारी सूचना, शिक्षा एवम संचार, के लिए तैयारी करने हेतु मिशन के अन्तर्गत आने वाले नगरों के लिए उपलब्ध केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक आवश्यकता का 5% , जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक आवश्यकता का 5% , जो भी कम हो का राज्यों द्वारा प्रशासकीय तथा अन्य व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(3) **निधि की मंजूरी तथा वितरण:** शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के लिए लक्षित् निधि का कार्य करेंगे। सीएसएमसी द्वारा सहायता को मंजूरी देने के बाद शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा निधि रिलीज की जायेगी।

शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर (केन्द्रीय भाग के संबंध में 100% अनुदान) राज्य सरकारों अथवा उनके पद नामित राज्य स्तरीय एजेन्सियों को जहां तक संभव हो 4 किस्तों में निधि रिलीज की जाएगी।

25% की पहली किस्त राज्य सरकार, यूएलबी अथवा पैरास्टाटल एजेन्सी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जाएगी। सहायता की शेष राशि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद यथा संभव 3 किस्तों में रिलीज की जायेगी। यह केन्द्रीय निधि के साथ-साथ राज्य / यूएलबी / पैरास्टाटल

एजेन्सी के भाग के 70% की सीमा तक होने के साथ-साथ राज्य तथा यूएलबी / पैरा स्टाटल एजेन्सी स्तर पर अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के लिए सहमति प्राप्त उपलब्धि के लक्ष्यों की शर्त के तहत होगा जैसा कि समझौता ज्ञापन में दिया गया है।

निधि की मंजूरी तथा वितरण चित्र 2: मंजूरी तथा वितरण की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है।

3. आवर्ती निधि:

(1) **शहरी अवसंरचना तथा संचालन के लिए सब मिशन:** जब कभी एसएलएनए कार्यान्वयन एजेन्सियों को सरल ऋण अथवा अनुदान सह ऋण के रूप में राज्य और केन्द्रीय निधि जारी करती है तो यह सुनिश्चित करेगा कि जारी की गई 25% निधि वसूल कर ली जाती है तथा नोडल एजेन्सी द्वारा अनुरक्षित आवर्ती निधि में शामिल कर दी जाती है। इस निधि को अवसंरचना परियोजनाओं में और निवेश के लिए वित्त पोषण हेतु बाजार निधि को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। मिशन अवधि के बाद आवर्ती निधि को राज्य स्तरीय शहरी अवसंरचना निधि का दर्जा दे दिया जायेगा।

(2) **शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के लिए सब मिशन:** जब कभी एसएलएनए कार्यान्वयन एजेन्सियों को सरल ऋण अथवा अनुदान सह ऋण के रूप में राज्य और केन्द्रीय निधि जारी करती है तो यह सुनिश्चित करेगा कि जारी की गई 10% निधि वसूल कर ली जाती है तथा आवर्ती निधि में शामिल कर दी जाती है। इस निधि को सब-मिशन के तहत सृजित परिसंपत्तियों को ओ एंड एव व्यय की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जायेगा। मिशन अवधि के बाद आवर्ती निधि को राज्य स्तरीय शहरी अवसंरचना निधि का दर्जा दे दिया जायेगा।

(4) निगरानी तंत्र

(1) शहरी विकास मंत्रालय / शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय पद नामित प्रतिनिधियों की मार्फत योजनाओं की आवधिक तौर पर निगरानी करेगा।

(2) एसएलएनए तिमाही आधार पर शहरी विकास मंत्रालय / शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) परियोजना पूरी होने पर एसएलएनए राज्य सरकार की मार्फत जे.एन.एन.यू.आर.एम. के भाग के रूप में हाथ में लिए गए कार्य कलापों की पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) सीएसएमसी मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मंजूरी पुनरीक्षा तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए, जितनी बार अपेक्षित होगा, बैठक करेगी।

(5) सुधारों की प्रगति की निगरानी तथा कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी एजेन्सियों की सहायता ली जाएगी।

चित्र 1: परियोजना प्रस्ताव तथा नीति निदेश प्रवाह

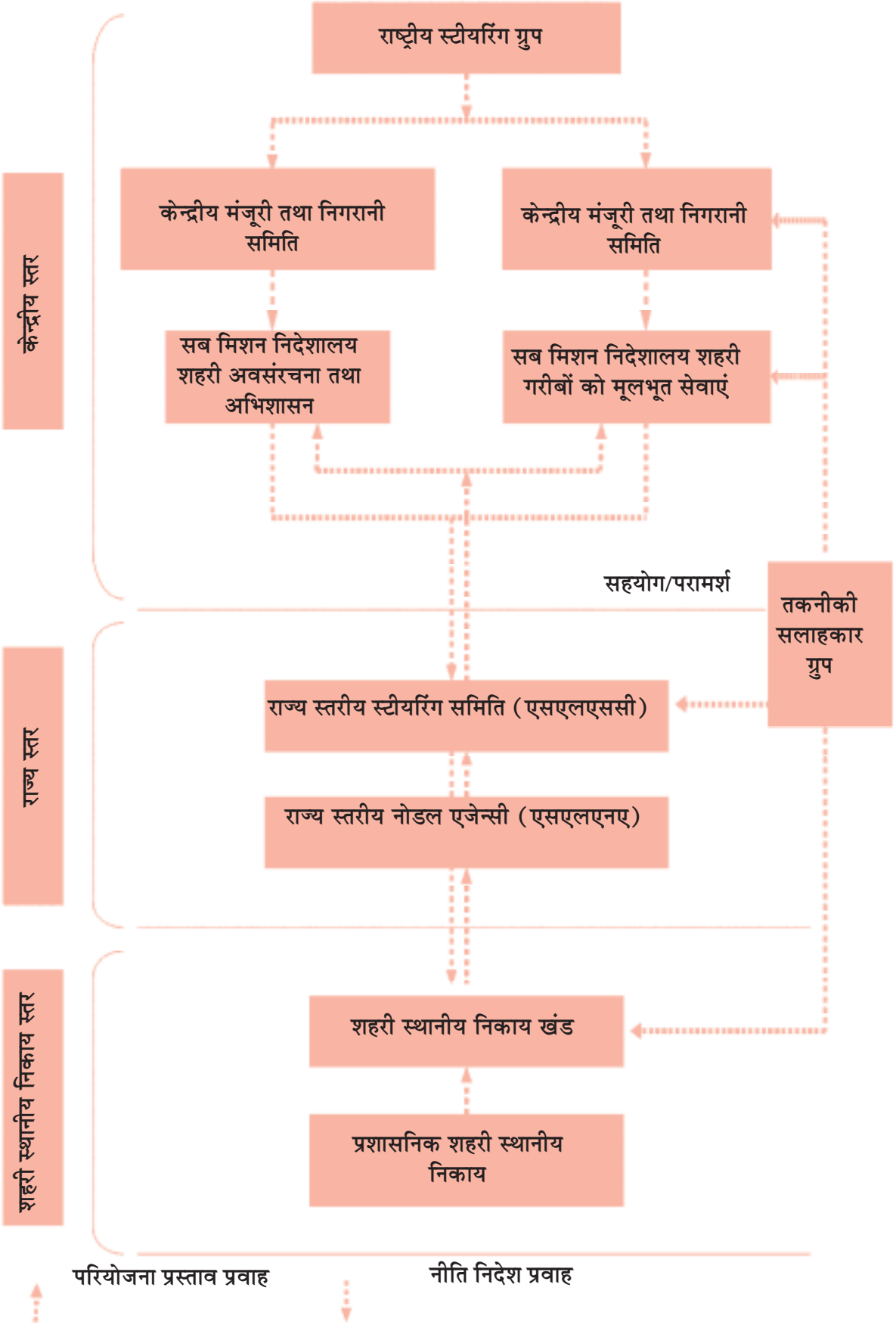

चित्र 2: प्रक्रिया: मंजूरी तथा वितरण

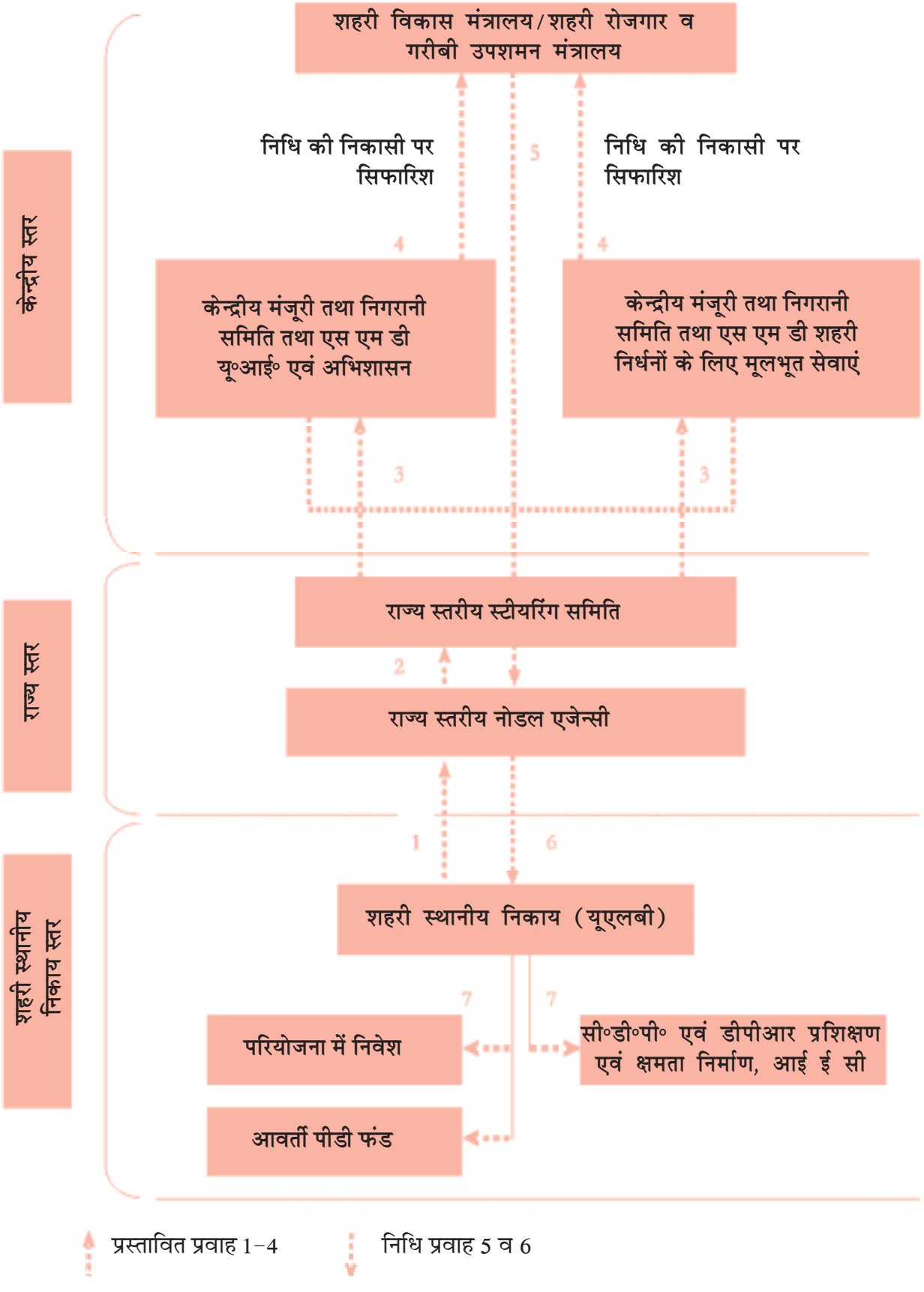

III. निधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना

(1) प्रक्रिया के अनुसार यूएलबी/पैरा स्टाटल ऐजेन्सी निम्नलिखित के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. से सहायता प्राप्त कर सकती है:

(क) नगर विकास योजना (सीडीपी) ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

(ख) प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी, सूचना, शिक्षा संचार

(ग) निवेश समर्थन घटक: परियोजना कार्यान्वयन के लिए अनुदान

प्रार्थियों को ब्यौरे के लिए टूल किट ''जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना का निरीक्षण'' का अवलोकन करना चाहिए।

(2) जे.एन.एन.यू.आर.एम. सहायता चाहने वाले आवेदकों से अपेक्षित है कि वे अपना अनुरोध विशिष्ट फार्मेट में प्रस्तुत करें जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सहायता लेने के लिए आवेदन पत्र नीचे खण्ड में दिया गया है। ऊपर (क) तथा (ख) तथा (ग) में पृथक तौर पर सहायता के लिए पृथक आवेदन दिए जाने चाहिए।

(3) सहायक दस्तावेजों सहित पूरी तरह भरा गया आवेदन पत्र (मूल तथा 10 प्रतियां) शहरी विकास मंत्रालय/शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए।

मिशन निदेशक
शहरी विकास मंत्रालय/
शहरी विकास मंत्रालय व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001

सहायक दस्तावेजों के ब्यौरे के बारे में आवेदकों को आवेदन तथा टूल किट 4: परियोजना मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश देखना चाहिए।

आवेदन पत्र: नगर विकास योजना (सीडीपी) ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)[3]

(कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें)

डी पी आर की तैयारी के लिए फार्म	हाँ/नहीं
डी पी आर की तैयारी के लिए फार्म	हाँ/नहीं

1. नगर का नाम		
2. नगर प्रशासन की प्रकृति	नगरपालिका	निगम
3. क्या चुनी हुई परिषद कार्य कर रही है	हाँ/नहीं	
4. परिषद के चुनाव की तारीख		
5. नगर/कस्बे के मूल भूत आंकड़े		
(i) आबादी		
(ii) क्षेत्र		
(iii) यूएलबी की स्थापना का वर्ष		
(iv) मलिन बस्तियों की संख्या व आबादी		
6. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय आंकड़े[4]	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
(i) राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रुपये में)		
(ii) सम्पत्ति कर (राजस्व प्राप्ति के % रूप में)		
(iii) राजस्व व्यय (करोड़ रुपयों में)		
(iv) संस्थापना व्यय (राजस्व व्यय का %)		
(v) ओ एण्ड एम व्यय के (राजस्व व्यय के % के तौर पर)		
(vi) पूंजी आय (करोड़ रुपयों में)		
(vii) पूंजी व्यय (करोड़ रुपयों में)		
(viii) ऋण निधि में अंशदान सहित वार्षिक ऋण सर्विसिंग (करोड़ रुपयों में)		

[3] *कृपया आवेदन पत्र के साथ सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।*

[4] *कृपया विगत 3 वर्षों के लिए ब्यौरे-वार आय तथा व्यय सारणियां प्रस्तुत करें।*

7. अब तक यूएलबी द्वारा संसाधन-वार लिए गए कुल ऋण (करोड़ रुपयों में)

संसाधन	ऋण लेने का वर्ष	कुल लिया गया ऋण	बकाया ऋण	उद्देश्य	वार्षिक ब्याज दर

8. (i) पिछले दो वर्षों के ऋण पुन:भुगतान के ब्यौरे (करोड़ रुपयों में)

ऋण दाता	नियत तारीख	वास्तव में किया गया भुगतान	भुगतान की गई राशि

अन्य बकाया दायित्वों का ब्यौरा

9. वार्षिक लेखा स्थिति	
(i) किस वर्ष तक वार्षिक लेखे तैयार किये गये हैं	
(ii) किस वर्ष तक वार्षिक लेखा परीक्षित किये गये हैं	
(iii) लेखा प्रणाली	एकल/दोहरी प्रविष्टि

10. चालू शहरी विकास कार्यक्रम

योजना	कार्यक्रम	रिलीज की गई निधि	किया गया व्यय	अव्ययित निधि
(i) भारत सरकार द्वारा समर्थित				
(ii) राज्य सरकार				
(iii) शहरी स्थानीय निकाय				
(iv) अन्य कोई				
कुल योग				

11. सेवा की स्थिति

(i) नल कनेक्शनों की संख्या	
(ii) सप्लाई की अवधि	
(iii) सिवरेज कनेक्शनों की संख्या	
(iv) स्ट्रीट लाइटों की संख्या	

(v) पार्कों की संख्या	
(vi) खेल के मैदानों की संख्या	
(vii) अस्पतालों की संख्या	
(viii) यूएलबी के स्वामित्व वाले कमर्शियल कम्पलेक्सों की संख्या	
12. सी डी पी आवेदन पत्र के लिए संलग्नक	आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक संलग्नक
13. डी पी आर आवेदन के लिए संलग्नक	1. सीडीपी 2. समझौता करार की प्रति के साथ टाइम लाइन्स 3. समझौता करार के अनुसार महत्वपूर्ण उपलब्धियां

आवेदन पत्र: निवेश समर्थन घटक

सहायता की किस्म	
परियोजना का नाम	
सैक्टर	
राज्य	
परियोजना प्रायोजन (यदि एस पी वी)	
कार्यान्वयन ऐजेन्सी (यूएलबी)	
सुधारों का अनुपालन	1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. का अनुपालन करने के लिए परियोजना प्रायोजक द्वारा उठाये गये कदम l समझौता करार पर हस्ताक्षर किये गये l सुधारों के प्रति वचनबद्धता (उन सुधारों की सूची प्रदान करें जिन्हें यूएलबी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।) (उन सुधारों की सूची प्रदान करें जिन्हें यूएलबी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।) l वचनबद्ध सुधारों पर प्रगति 2. जे.एन.एन.यू.आर.एम. से बाहर अन्य कोई सुधार कार्यक्रम (ब्यौरा दें)
परियोजना ढांचा (ईसीपी/पीपीपी के वैरियेन्ट)	
शामिल स्टेक होल्डर	भाग लेने वाले यूएलबीएस/राज्य सरकार/भारत सरकार/डीएफआईएस
परियोजना विवरण	
परियोजना कार्यान्वयन	
परियोजना कार्यान्वयन उपलब्धियां	महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूची दें
परियोजना की स्थिति	मंजूरी/अनुमोदन की सूची प्रदान करें
परियोजना के संभावित प्रभाव	
परियोजना वित्तीय ढांचा	(क) परियोजना लागत का ब्यौरा **मद** **करोड़ रुपयों में** भूमि* भवन उपकरण अन्य कोई कुल परियोजना लागत ** कृपया निर्दिष्ट करें कि सरकारी है या निजी है*

	(ख) वित्त पोषण के प्रस्तावित साधन
	संसाधन **करोड़ रुपयों मे**
	योग
परियोजना आई आरआर	
आवर्ती निधि लेखा का प्रावधान [6]	हां/नहीं जो सही हो उसपर सही का निशान लगायें
दीर्घीकरण के लिए उपाय	
वित्तीय समापन के लिए उपाय	कृपया परियोजना को प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित शेष निधिकरण पर राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान/अन्य से प्राप्त वचन पत्र सहित संक्षेप में बतायें
वितरण के लिए पात्रता	**एसपीवी अग्रता में परियोजनाएं**
	शर्तें **पात्रता के मापदण्ड** [7] **परियोजना के मानदंड**
	परियोजना का आकार वित्तीय आई आर आर आर्थिक आई आर आर जे.एन.एन.यू.आर.एम. एक्सपोजर पर्यावरणीय व सामाजिक ऋण सेवा आरक्षण अनुरक्षण आरक्षण (यदि अपेक्षित हो)
	यूएलबी की अग्रता में परियोजनाएं
	शर्तें **मानदंड**
	संचलन अनुपात (कम से कम 1.00)
	ऋण सेवान्तर्गत अनुपात (कम से कम 1.25)
	आवर्ती निधि
अनुलग्नक	

[5] कृपया उस संबंद्ध खण्ड का उल्लेख करें जो डीपीआर में वित्तीय संभाव्यता (मूल भूत स्प्रैडशीट सहित) को रेखांकित करता है।

[6] कृपया संबंद्ध खण्ड का उल्लेख करें जो उपरोक्त उद्देश्य के लिये आवर्ती निधि के प्रावधानों को रेखांकित करता है।

[7] आवेदक को बैंच मार्क पात्रता मानदण्ड के लिए प्रार्थना पत्रमें टूल किट 4 का हवाला दिया जाना चाहिए।

IV निधि करण के अनुरोध को संसाधित करना

(1) जैसाकि पूर्व के खण्डों में दिया गया है जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सहायता के लिए अनुरोध के बाद मंजूरी से पूर्व मूल्यांकन की प्रक्रिया की जायेगी जेएन के अन्तर्गत सहायता के सभी अनुरोध शहरी विकास मंत्रालय/शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में मिशन निदेशक को अग्रेषित किये जायेंगे।

(2) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सहायता के लिये सभी अनुरोध शहरी विकास मंत्रालय/शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में मिशन निदेशक को अग्रेषित किये जाएंगे प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षाओं का ब्यौरा टूल किट 4 में दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सहायता चाहने वाली यूएलबी जे.एन.एन.यू.आर.एम./ पैरास्टाटल ऐजेन्सियों का हवाला दिया जाना चाहिए।

(3) जे.एन.एन.यू.आर.एम. से सहायता अनुरोध के लिए प्रक्रिया यूएलबी/पैरास्टाटल ऐजेन्सी द्वारा प्रारंभ की जायेगी यूएलबी/पैरास्टाटल ऐजेन्सी एसएलएससी की सिफारिश के लिए संबंधित आवेदन पत्र सहित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जायेगी एसएलसी एसएलएन से सहायता लेगी तथा और टीएजी से जांच परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करेगी।

(i) जे.एन.एन.यू.आर.एम. की पात्रता आवश्यकताओं के अनुरूप अनुशंसित प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालय/ तकनीकी ऐजेन्सी द्वारा विचार किया जायेगा तथा संबंधित सीएमसी को अनुशंसा की जायेगी जो अनुशंसित प्रस्तावों को मंजूरी देगी तथा पुनरीक्षा करेगी।

(ii) एनएसजी केन्द्र में मिशन निदेशालय के साथ नीतिगत कार्यों की निगरानी करेगी। राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी प्रगति की पुनरीक्षा करेगी तथा निगरानी करेगी।